माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

P 1502-I-17

पुनरीक्षण क्र.

1. भागीरथ तनय हीरालाल यादव

श्रीमति सुषमा सिंह (अधिवक्ता) द्वारा आज दि 26/5/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 26/5/17

2. कोमल तनय हीरालाल यादव निवासी मझगुवां तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र०शासन

..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. के रा०प्र०क्र066/अपील/2016-17मे पारित आदेश दिनांक 27/4/2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ताकी विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता / अपीलार्थी / आवेदक ने मौजा मझगुवां मे ख.न.1158रकबा 0.721हे. भू.रा.3.56पैसे की भूमि दिनांक 8/जुलाई2004 को हरवंश सिंह तनय श्री सोने जू ठाकुर नि0 मझगुवां से 80,000रुपये मे क्रय की थी संपूर्ण भूमि की जांच पड़ताल पश्चात उप पंजीयक ने धारा 165(10)म.प्र.भू.रा.सं. एवं मुद्राक अधिनियम एव पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत विक्रय पत्र को पंजीयत किया था।

2. यहकि आवेदकगण द्वारा समयावधि मे उक्त विक्रय पत्र के आधारपर अपना नामांतरणपटवारी द्वारा पंजी क्र.9 पर अंकित किया और उसे सक्षमअधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया । और यह आवेदन स्वीकृत हुआ तथा खसरा पंच शाला मे वर्ष 2004 -05मे आवेदकगण का नाम दर्ज हो गया जो विधिवत चला आया है ।

3. यह कि ख.न.1158विक्रेता हरबंश सिंह के पूर्वज सोने जू तनय हरदेव सिंह के नाम पर अंकित रहा है जिसका प्रमाण परीक्षण न्यायालय ने पंजी क्र.1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1502-एक/2017 भागीरथ विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी को दिनांक 28-08-2018 को सुना गया । 3. मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 72/अ-6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2016 की नस्ती व अनुविभागीय अधिकारी का अपील में पारित आदेश दिनांक 27-04-2017 का अध्ययन किया गया । 4. आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 4 माह 20 दिवस के दिन-प्रतिदिन विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया, और न ही बंजर भूमि के बंटन का कोई आदेश नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिस कारण निगरानीकर्ता का नाम कम्प्यूटर खसरा में अंकित नहीं किया जाने का आदेश उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अत: यह निगरानी निरस्त की जाती है । 5. उभयपक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । 20.9.2018 (आर.के.जैन) **सदस्य**	